

2024
 राजस्थान सरकार
 न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, जिला फलोदी
 क्रमांक : राजस्व / 2024 / 3191 दिनांक 27/10/24

— आदेश —

तहसीलदार घंटियाली जिला फलोदी के द्वारा रा.मू.अ अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 व 136 के अधीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम जैसला तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खसरा नम्बर 29 में से रकबा 0.1695 हैक्टेयर किस्म बरानी-2 में मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते के उपयोग आ रही भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता घोषित कर नक्शा शुद्धि एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।

क्र.सं.	नाम ग्राम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	किस्म	रास्ते में उपयोग हो रही भूमि	शेष रकबा (क्षेत्रफल)
1	जैसला	29	22.5895 है.	बरानी-2	0.1695 है.	22.4200 है.
	कुल	01			0.1695 है.	

प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में पटवारी जैसला व मू.अ निरीक्षक जैसला की रिपोर्ट एवं सलमन रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति के आधार पर ग्राम जैसला तहसील घंटियाली जिला फलोदी उपरोक्त खसरा नम्बर में विद्यमान कदीमी रास्ते के सम्बन्ध में से परिशिष्ट A के अनुरूप 0.1695 हैक्टेयर भूमि की किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा धारा 131, 136 व रा.मू.अ. 1957 के नियम 60(4ज) के तहत तहसीलदार घंटियाली का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम जैसला तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खसरा नम्बर 29 में से कुल रकबा 0.1695 हैक्टेयर की किस्म गै.मु.रास्ता परिवर्तन करने एवं नक्शा (लेटाउ) ट्रेस में दुरुस्ती एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल करने के आदेश तहसीलदार घंटियाली को दिये जाते हैं कि उक्त भूमि गै.मु.रास्ता दर्ज कर नक्शे में तरमीम की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट पेश करे। किसी अन्य न्यायालय का स्थगन होने पर उसकी भी पालना की जावे। यह एक अपीलीय आदेश है जिसकी सक्षम न्यायालय में अपील की जा सकती है।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप (फलोदी) दिनांक : 27/10/24

क्रमांक : राजस्व / 2024 / 3192-45

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ -

1. श्रीमान जिला कलेक्टर (भू.अ.) महोदय, फलोदी की सेवामें आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. तहसीलदार घंटियाली को पालनार्थ।
3. मू.अ. निरीक्षक जैसला को पालनार्थ।
4. पटवारी हल्का जैसला को रिकॉर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम की कार्यवाही हेतु।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप (फलोदी)